

योजना का नाम- जनपद देहरादून, मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित वेवली कॉन्वेन्ट स्कूल इस्टेट में श्री मनोज कुमार काला एवं श्री अक्षत कुमार काला पुत्रगण स्व० टीकाराम काला, निवासी- सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड, मसूरी, जिला- देहरादून के स्वामित्व की कुल 408.76 वर्ग मी० भूमि है, जिसमें से 141.13 वर्ग मी० अर्थात् 0.014113 है० क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू-प्रत्यावर्तन की पुर्वानुमति लिए जाने का प्रस्ताव.

संलग्नक- 28

प्रस्ताव चैक लिस्ट के अनुरूप तैयार किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार ही तैयार किया गया है।


वन क्षेत्राधिकारी,
मसूरी रेंज, मसूरी।


(मनोज कुमार काला)
पुत्र स्व० टीकाराम काला,
निवासी- सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड,
मसूरी, जिला- देहरादून।

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रमाणित
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

योजना का नाम— जनपद देहरादून, मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित वेवली कॉन्वेन्ट स्कूल इस्टेट में श्री मनोज कुमार काला एवं श्री अक्षत कुमार काला पुत्रगण स्व० टीकाराम काला, निवासी—सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड़, मसूरी, जिला— देहरादून के स्वामित्व की कुल 408.76 वर्ग मी० भूमि है, जिसमें से 141.13 वर्ग मी० अर्थात् 0.014113 है० क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू-प्रत्यावर्तन की पुर्वानुमति लिए जाने का प्रस्ताव.

संलग्नक—29

फैक्ट शीट

1- परियोजना का नाम-	जनपद देहरादून, मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित वेवली कॉनवेन्ट स्कूल इस्टेट में श्री मनोज कुमार काला एवं श्री अक्षत कुमार काला पुत्रगण स्व० टीकाराम काला, निवासी- सुधा निवास. हरनाम सिंह रोड. मसूरी, जिला- देहरादून के स्वामित्व की कुल 408.76 वर्ग मी० भूमि है, जिसमें से 141.13 वर्ग मी० अर्थात 0.014113 है० भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू-प्रत्यावर्तन की पुर्वानुमति लिए जाने का प्रस्ताव।		
2- प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है०में)-	आरक्षित वन-	-रिक्त-	
	सिविल एवं सोयम वन भूमि-	-रिक्त-	
	वन पंचायत भूमि-	-रिक्त-	
	निजी भूमि-	141.13 वर्ग मी० (अर्थात 0.014113 है०)	
	योग-	141.13 वर्ग मी० (अर्थात 0.014113 है०)	
3- प्रस्तावक/प्रस्तावक विभाग का नाम-	श्री मनोज कुमार काला।		
4- वन प्रभाग का नाम-	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।		
5	प्रस्ताव वाइडिंग किया गया है-	हाँ	-
6	प्रस्ताव की विषय सूची भरी गई है-	हाँ	-
7	क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है-	हाँ	-
8	क्या प्रारूप के वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-	हाँ	-
9	प्रस्तावित क्षेत्र में हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है-	हाँ	-
10	प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है-	हाँ	-
11	बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न हैं-	हाँ	-
12	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि उत्पत्तिक हैं तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है-	प्रस्तावित निर्माण कार्य से कोई वृक्ष बाधक/प्रभावित नहीं होगा। किसी प्रकार के वृक्ष/वनस्पति का पातन निहित नहीं है।	
13	समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न हैं-	लागू नहीं	उपरोक्तानुसार
14	क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है-	हाँ	-
15	क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव पर संलग्न है-	प्रस्तावित भूमि 0.014113 है० अपेक्षित है, अतः आवश्यकता नहीं है।	
16	क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है-	उपरोक्तानुसार	
17	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है-	प्रस्तावक के स्वामित्व की कुल 408.76 वर्ग मी० भूमि है, जिसमें से 141.13 वर्ग मी० अर्थात 0.014113 है० भाग में निर्माण होना है। आस-पास की खाली पड़ी भूमि पर उचित वृक्षारोपण का प्राविधान किया गया है। तत्संबंधी प्राक्कलन/ मानचित्र संलग्न है।	
18	क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है-	-	नहीं

योजना का नाम- जनपद देहरादून, मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित वेवर्ली कॉन्वेन्ट स्कूल इस्टेट में श्री मनोज कुमार काला एवं श्री अक्षत कुमार काला पुत्रगण स्व० टीकाराम काला, निवासी- सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड़, मसूरी, जिला- देहरादून के स्वामित्व की कुल 408.76 वर्ग मी० भूमि है, जिसमें से 141.13 वर्ग मी० अर्थात् 0.014113 है० क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू-प्रत्यावर्तन की पुर्वानुमति लिए जाने का प्रस्ताव.

19	प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है- यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है-	-	नहीं
20	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है-	हाँ	-
21	प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथावा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है- (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)	लागू नहीं	
22	क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है-	हाँ	-
23	यदि सड़क का आरंभिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मानचित्र को मानचित्र पर दर्शाया गया है-	-	लागू नहीं
24	क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है-	-	नहीं-लागू नहीं
25	यदि उल्लंघन हुआ हो तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषि अधिकारी/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये-	-	नहीं-लागू नहीं
26	सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें /वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाया गया है-	-	नहीं-लागू नहीं
27	वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्नक किया जाये)	-	नहीं-लागू नहीं
28	लगत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत है- (5 है० से अधिक प्रकरणों में लागू होगा)	-	नहीं-लागू नहीं
29	मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है-	हाँ	-
30	मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है- अथवा मलवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है-	-	-
31	राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है-	हाँ	-
32	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है। यदि छाया प्रतियां संलग्न की गई हैं तो क्या सत्यापित है-	हाँ	-
33	यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है-	-	नहीं-लागू नहीं
34	वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है-	-	नहीं-लागू नहीं
35	क्या प्रस्ताव में सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-	हाँ	-
36	क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है-	हाँ	-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रपत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

हस्ताक्षर/प्रस्तावक  (मनोज कुमार काला) प्रस्तावक। दिनांक 11.06.2014	हस्ताक्षर-  प्रभागीय वन अधिकारी मसूरी का प्रशासक मसूरी। दिनांक 11.06.2014
--	--